FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0005 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 03/01/2026 12:51 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 31/12/2025 **Date To (दिनांक तक):** 01/01/2026

Time Period (समय अवधि): पहर 4 **Time From (समय से):** 20:00 बजे **Time To (समय तक):** 11:39 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 03/01/2026 **Time (समय):** 11:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 03/01/2026 12:51:03 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 80 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** POLICE THANA SADAR, NEEM KA THANA JILA SIKAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** RAJESH KUMAR
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** SURESH KUMAR
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1996 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	SIRANA, NEEM KA THANA, SIKAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	SIRANA, NEEM KA THANA, SIKAR, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAJESH KUMAR		पिता:BHAIRURAM	1. DHANI SHISHRAM WALI,BABAI,JHUNJHUNU,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 27.12.2025 को ब्यूरो के टोल फ्री नम्बर 1064 से ईतला मिलने पर मन् एएसपी ने परिवादी श्री राजेश कुमार से सम्पर्क कर पर उसके चाहेनुसार दिनांक 29.12.2025 को समय 07.15 एएम पर कार्यालय की डीवीआर मय मेमोरी कार्ड खाली होना सुनिश्चित कर श्री मनोज कुमार एचसी को परिवादी राजेश कुमार के मोबाईल नम्बर उपलब्ध करवाकर नीमकाथाना रवाना किया गया। दिनांक 30.12.2025 को समय 04.00 पीएम पर श्री मनोज कुमार एचसी ने कार्यालय में उपस्थित होकर बताया कि कार्यालय से रवाना होकर परिवादी श्री राजेश कुमार से सम्पर्क करते हुये मैने नीमकाथाना पहुंच परिवादी श्री राजेश कुमार से सम्पर्क किया जहां परिवादी राजेश कुमार मौजुद मिला जिस पर हम दोनों रवाना होकर पुलिस थाना सदर नीमकाथाना के पास पहुंचे जहां मैने परिवादी राजेश कुमार को डीवीआर मय मेमोरी कार्ड चालू कर सुपुर्द कर दिया तथा उसके थाने के बाहर आने पर डीवीआर प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रख लिया उस दिन आरोपी राजेश कुमार एचसी के थाने में नहीं मिलने के कारण परिवादी राजेश कुमार की कोई वार्ता नहीं हो सकी। उस दिन मैं रात्रि नीमकाथाना में ही मुकिम रहा, दिनांक 30.12.2025 को पुनः मैं व परिवादी राजेश कुमार थाने के पास पहुंचे जहां मैने डीवीआर परिवादी राजेश कुमार को सुपुर्द कर थाने में भेजा और उसके थाने से बाहर आने पर डीवीआर प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। आरोपी राजेश कुमार एचसी के थाने में नहीं मिलने के कारण परिवादी राजेश कुमार की वार्ता नहीं हो सकी। दिनांक 31.12.2025 को समय 10.00 एएम पर मन् एएसपी ने डीवीआर मय मेमोरी कार्ड खाली होना सुनिश्चित कर श्री मनोज कुमार एचसी को सुपुर्द कर परिवादी राजेश कुमार से लिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त कर रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु नीमकाथाना रवाना किया।उसी दिन दिनांक 31.12.2025 को समय 08.00 पीएम पर श्री मनोज कुमार एचसी ने मन् एएसपी के समक्ष उपस्थित होकर परिवादी श्री राजेश कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार जाति स्वामी, उम्र-29 वर्ष, निवासी ग्राम सिराणा, पुलिस थाना सदर नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि □□पुलिस थाना सदर नीमकाथाना में मुकदमा नम्बर 406/2025 दर्ज हुआ है, जिसमें अमित, मनोज, आशीष, सतपाल, हरेन्द्र, बजरंग, प्रहलाद आरोपी है, जिसका अनुसंधान हैड कानि. राजेश कुमार पुलिस थाना सदर नीमकाथाना कर रहा है, जो दिनांक 27.12.2025 को हैड कानि. राजेश ने हमारे को फोन करके थाने पर बुलाया था जिस पर दिनांक 27.12.2025 को मैं राजेश, अमित, मनोज, आशीष थाने गये थे, जहां हैड कानि. राजेश ने मुकदमें में से नाम हटवाने के एवज में रिश्वत की मांग की और कहा कि मुकदमें में नाम हटवाने के लिये पैसे खर्च करने पड़ते है, पैसे खर्च नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी जेल भी करवा सकता हूं। श्रीमानजी हमने कोई अपराध नहीं किया है ना ही हमारे परिवार के किसी सदस्य ने कोई अपराध किया है, हम हमारी जमीन खसरा नम्बर 782 पर पुश्तैनी पूर्वजों से काबिज है, उसमें हम सदियों से बुहाई जुताई करते आये है हमारे खसरा नम्बर 782 को मानसिंह भास्कर व उसका भतीजा विकास भास्कर खसरा नम्बर 501 बताकर कब्जा करना चाहते है जबकि इस खसरा नम्बर 782 पर हमारा मालिकाना हक है, मुकदमा नम्बर 406/2025 में से नाम हटवाने की एवज में हम हैड कानि. राजेश को रिश्वत नहीं देना चाहते है, हम लोग उसको रिश्वत देते रंगे हाथ पकड़वाना चाहते है, हमारी हैड कानि. राजेश से कोई रंजिश या आपसी लड़ाई नहीं है, एसडी-मनोज कुमार, अमित कुमार, राजेश कुमार, एसडी- विजय कुमार एएसपी दिनांक 31.12.2025 श्री मनोज कुमार एचसी ने उक्त प्रार्थना पत्र के साथ डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर बताया कि कार्यालय से रवाना होकर परिवादी श्री राजेश कुमार से सम्पर्क करते हुये मैने नीमकाथाना पहुंच परिवादी श्री राजेश कुमार से सम्पर्क किया जहां परिवादी राजेश कुमार व उसके भाई श्री मनोज कुमार व श्री अमित कुमार मौजुद मिले, जहां परिवादी श्री राजेश कुमार ने मुझे लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया। उसके बाद हम चारों व्यक्ति रवाना होकर पुलिस थाना सदर नीमकाथाना के पास पहुंचे जहां मैने परिवादी राजेश कुमार को डीवीआर मय मेमोरी कार्ड चालू कर सुपुर्द कर दिया और परिवादी व उसके भाई थाने के अन्दर चले गये तथा उनके थाने से बाहर आने पर मैने डीवीआर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। श्री मनोज कुमार एचसी ने यह भी बताया कि थाने में परिवादी राजेश कुमार की आरोपी राजेश कुमार एचसी से रिश्वत के संबंध में वार्ता हुई है तथा परिवादी राजेश कुमार द्वारा आरोपी राजेश कुमार को अपने पास से 10,000 रुपये दिये गये तथा आरोपी राजेश कुमार एचसी द्वारा 10,000 रुपयों की और मांग की गई है तथा 10,000 रुपये दिनांक 01.01.2026 को लाने की कही है। डीवीआर मय मेमोरी कार्ड को मन् एएसपी द्वारा सुना गया तो श्री मनोज कुमार एचसी द्वारा बताये गये कथनों की पुष्टि हुई। डीवीआर मय मेमोरी कार्ड को मन्

एएसपी द्वारा सुरक्षित आलमारी में रखा गया।दिनांक 01.01.2026 को समय 08.00 एएम पर पूर्व से पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री मनोज कुमार माथुर एवं श्री रामनारायण गुर्जर कनिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर से उपस्थित कार्यालय आने पर फिनॉफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से श्री संदेश कुमार कनिष्ठ सहायक से निकलवाकर सरकारी वाहन के डेस्क बोर्ड में रखवाकर मन् एएसपी विजय कुमार मय स्वतंत्र गवाहान श्री मनोज कुमार माथुर एवं श्री रामनारायण गुर्जर कनिष्ठ सहायक व स्टाफ के श्री सुभाष मील पुलिस निरीक्षक, श्री राजेन्द्र प्रसाद एचसी नं. 87, श्रीमती सुनिता एचसी नं. 43, श्री मनोज कुमार एचसी नं. 134, श्री अशोक कुमार एचसी नं. 76, श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386, श्री शीशराम कानि. नं. 311, श्रीमती निर्मला महिला कानि. नं. 307, श्री महेश कुमार एचसी नं. 48, श्री संदेश कुमार कनिष्ठ सहायक व चालक श्री सुरेशचन्द एचसी के जरिये सरकारी व प्राईवेट वाहनों के मय रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का मेमोरी कार्ड, ट्रेप बॉक्स एवं लेपटॉप मय प्रिन्टर व डीवीआर मय नया मेमोरी कार्ड को साथ लेकर एसीबी कार्यालय से रवाना होकर परिवादी श्री राजेश कुमार से जरिये मोबाईल सम्पर्क करते हुये नीमकाथाना-सिरोही मुख्य सङ्क पर बैकुंठ महादेव मंदिर के पास पहुंचा, जहां परिवादी राजेश कुमार अपने भाई श्री अमित व श्री मनोज कुमार के साथ अपनी प्राईवेट गाड़ी में मौजूद मिला। मन् एएसपी ने वाहनों को साईड में रुकवाकर परिवादी श्री राजेश कुमार से आवश्यक पूछताछ की तो परिवादी श्री राजेश कुमार ने श्री मनोज कुमार एचसी के बताये गये कथनों की ताईद की। परिवादी श्री राजेश कुमार एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री मनोज कुमार माथुर एवं श्री रामनारायण गुर्जर कनिष्ठ सहायक का आपस में परिचय करवाया जाकर स्वतंत्र गवाहान को परिवादी श्री राजेश कुमार का प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया गया तथा प्रार्थना पत्र पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई।तत्पश्चात परिवादी परिवादी श्री राजेश कुमार ने हिदायत देने पर आरोपी परिवादी श्री राजेश कुमार एचसी पुलिस थाना सदर नीमकाथाना जिला सीकर को रिश्वत के रुप में दिये जाने वाले नोट पॉच-पॉच सौ रुपये के 20 नोट कुल 10,000 रुपये पेश किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है:-1. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 8 GQ 1872232. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 2 EU 0284903. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 7 FA 7855954. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 4 ME 7825565. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 1 UP 6103106. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 7 FK 0722297. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 6 RS 1861078. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 4 MA 2489919. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 7 ES 31933810. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 1 BT 34840811. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 0 KA 50422512. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 9 SV 22317113. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 0 PG 43547514. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 8 EC 97431015. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 8 HB 28938216. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 1 FH 55390317. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 3 RT 33679118. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 9 FG 21739319. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 2 FR 30931420. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 7 MD 408152सरकारी वाहन के डेस्क बोर्ड से फिनॉफ्थलीन पाउडर की शीशी श्री संदेश कुमार कनिष्ठ सहायक से निकलवाकर नोटों को एक अखबार पर बिछाकर हस्ब कायदा फिनॉफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर गवाह श्री मनोज कुमार माथुर से परिवादी श्री राजेश कुमार की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनॉफ्थलीन पाउडर लगे 10,000 रुपयों के नोट श्री संदेश कुमार कनिष्ठ सहायक से परिवादी श्री राजेश कुमार के पहनी हुई पैन्ट की सामने की बांयी जेब में रखवाये जाकर परिवादी को मुनासिब हिदायत दी गई। प्रदर्शन करवाकर दोनों पाउडरों फिनोफ्थलीन एवं सोडियम कार्बोनेट की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी राजेश कुमार व गवाहान को समझाया गया। प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल को फेंक कर प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास एवं अखबार जिस पर रखकर रुपयों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया था, को जलाकर नष्ट करवाया गया। परिवादी, दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनीयता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत समझाईस कर मुनासिब हिदायत दी गयी। कार्यालय की डीजिटल वॉईस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर खाली होना सुनिश्चत कर उक्त डीजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को श्री मनोज कुमार एचसी को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत की गई। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी श्री संदेश कुमार कनिष्ठ सहायक को अपने साथ एसीबी चौकी सीकर ले जाने की मुनासिब हिदायत दी जाकर रवाना किया गया।तत्पश्चात समय 10.40 एएम पर मन् एएसपी मय हमराहियान पार्टी के जरिये सरकारी व प्राईवेट वाहनों के परिवादी श्री राजेश कुमार उसके भाई श्री मनोज कुमार व श्री अमित कुमार के साथ श्री मनोज कुमार एचसी को परिवादी राजेश कुमार की प्राईवेट गाड़ी से रवाना होकर पुलिस थाना सदर नीमकाथाना के पास मुख्य सड़क पर पहुंचा जहां वाहनों को साईड में रुकवाकर परिवादी श्री राजेश कुमार व उसके भाई श्री मनोज कुमार व श्री अमित कुमार के साथ कार्यालय के श्री मनोज कुमार एचसी को थाने की तरफ पैदल-पैदल रवाना किया जाकर मन् एएसपी मय हमराहियान के वाहनों में ही परिवादी राजेश कुमार के तय ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ।समय 11.39 एएम पर मन् एएसपी को परिवादी श्री राजेश कुमार का मिसकॉल का तय ईशारा प्राप्त होने पर मन् एएसपी मय हमराहियान के वाहनों से रवाना होकर पुलिस थाना सदर नीमकाथाना के सामने पहुँचा जहाँ परिवादी

राजेश कुमार अपने भाई मनोज व अमित के साथ खड़ा मिला जिसने मन् एएसपी को डीवीआर सुपुर्द कर थाने में सामने गैलेरी में खड़े एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि वे ही राजेश कुमार है, जिसने मेरे से मेरे 10,000 रुपये रिश्वत के अपने हाथों में लेकर अपनी पहनी हुई पैन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखे है। जिस पर मन् एएसपी मय हमराहियान पार्टी के थाने में प्रवेश करने लगा तो इतने में ही उक्त व्यक्ति थाने के पीछे की तरफ भागते हुये खुले चौक में पहुंचा जिसके पीछे-पीछे मन् एएसपी मय हमराहियान के दौड़ते हुये उक्त व्यक्ति के पास पहुंचा तो इसने अपनी पीछे की जेब में रखे रुपयों की थेई को निकालकर थाने की दीवार के उपर से फेंक दिये, जिस पर उक्त व्यक्ति को मन् एएसपी ने अपना व हमराहियान का परिचय देते हुये उससे अपना नाम पता पूछा तो उक्त व्यक्ति ने घबराते हुये अपना नाम श्री राजेश कुमार एचसी नं. 171, पुलिस थाना सदर नीमकाथाना जिला सीकर होना बताया। इस पर उक्त आरोपी श्री राजेश कुमार एचसी नं. 171 का बायां हाथ श्री मनोज कुमार एचसी एवं दाहिना हाथ श्री महेश कुमार एचसी से उसकी कलाईयों के उपर से पकड़वाये जाकर थाने में बने कमरे में बैठाया गया।तत्पश्चात मन् एएसपी मय हमराहियान के आरोपी श्री राजेश कुमार एचसी द्वारा थाने की दीवार से पीछे खुली जगह में गिराये हुये रुपयों को गवाह श्री मनोज कुमार माथुर से उठवाया जाकर गिनवाया गया जो पांच-पांच सौ रुपये के 20 नोट कुल 10,000 रुपये पाये गये। उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो नोटों के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के अनुरुप पाये गये । उपरोक्त बरामदशुदा 10,000 रुपये के नोटों को गवाह श्री मनोज कुमार माथुर के पास सुरक्षित रखवाये गये।तत्पश्चात समय 12.05 पीएम पर मन् एएसपी मय हमराहियान के थाने में आकर अग्रिम कार्यवाही शुरु करते हुये आरोपी श्री राजेश कुमार एचसी को परिवादी राजेश कुमार से ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछने पर बताया कि मैने इनसे कोई डायरेक्टली डिमांड नहीं की, मैने इनको मुकदमें के सिलसिले में बुलाया था मौके पर परिवादी श्री राजेश कुमार ने आरोपी परिवादी श्री राजेश कुमार एचसी के कथनों का खण्डन करते हुये बताया कि ये झूठ बोल रहे है मैने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 31.12.2025 को इनके पास आकर इनसे बात की तो इन्होने मेरे भाई मनोज का मुचलका भरवाकर मेरे से 10,000 रुपये ले लिये तथा मेरे भाई अमित को साथ लेकर 10,000 रुपये और लाने की कही, आज इन्होने मेरे भाई अमित का मुचलका भरवाकर मेरे से 10,000 रुपये रिश्वत के लिये है।तत्पश्चात श्री अशोक कुमार एचसी के दोनो हाथों एवं दो प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर गिलासों में साफ पानी भरवाकर थोड़ा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री राजेश कुमार एचसी के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में उक्त आरोपी श्री राजेश कुमार एचसी के बांये हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैला सा हो गया। दोनो हाथो के उक्त धोवन को अलग-अलग दो-दो साफ कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें आधा-आधा भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर दाहिने हाथ के धोवन को मार्क R-1, R-2 तथा बांये हाथ के धोवन को मार्क L-1, L-2 से सील्ड मोहर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त किया गया। प्लास्टिक के दोनों डिस्पोजल गिलासो को जलवाकर नष्ट करवाया गया।गवाह श्री मनोज कुमार माथुर के पास सुरक्षित रखे बरामदशुदा नोटों के नम्बर मौके पर बनाई गई फर्द में अंकित करवाकर बरामद शुदा कुल 10,000 रुपये के नोटों को सफेद कागज पर सीलवाकर सील्ड किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री राजेश कुमार एचसी को दूसरी पेन्ट उपलब्ध करवाकर उसकी पहनी हुई पेन्ट ससम्मान उतरवायी गयी। तत्पश्चात श्री अशोक कुमार एचसी के दोनो हाथों एवं एक नये प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को साबुन व पानी से धुलवाकर गिलास में पानी व सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में आरोपी श्री राजेश कुमार एचसी की पहनी हुई पैन्ट की पीछे की दाहिनी जेब को उलटवाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों को साबुन व पानी से धुलवाकर उनमें आधा-आधा डलवाकर भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर मार्क P-1 व P -2 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त किया गया। आरोपी श्री राजेश कुमार एचसी की पैन्ट की तलाशी लिवाई जाकर पैन्ट की पीछे की दाहिनी जेब को उलटवाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर पैन्ट बरंग स्लैटी को एक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड करवाकर पैकेट पर मार्क ए अंकित कर जप्त किया गया।आरोपी श्री राजेश कुमार एचसी को परिवादी श्री राजेश कुमार के भाईयों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण के बारे में पूछा तो बताया कि अमित व मनोज स्वामी एवं अन्य के विरुद्ध दर्ज मुकदमा संख्या 406/25 का मेरे द्वारा अनुसंधान किया जा रहा था, मैने राजेश कुमार को अपने भाईयों को थाने में लाने की कही थी आरोपी श्री राजेश कुमार एचसी को परिवादी श्री राजेश कुमार के भाईयों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण की पत्रावली पेश करने की हिदायत देने पर आरोपी श्री राजेश कुमार एचसी ने प्रकरण संख्या 406/2025 की पत्रावली पेश की, जिसका अवलोकन किया गया। आरोपी श्री राजेश कुमार मुख्य आरक्षक नं. 171, पुलिस थाना सदर नीमकाथाना जिला सीकर को जरिये फर्द हस्ब कायदा गिरफ्तार किया गया।तत्पश्चात आरोपी श्री राजेश कुमार एचसी के विरुद्ध की गयी ट्रेप कार्यवाही के दौरान रिश्वती राशि बरामदगी, आरोपी के स्पष्टीकरण, हाथ धुलाई व जेब धुलाई की विडियोग्राफी श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386 से सरकारी मोबाईल फोन में SANDISK 64 GB मैमोरी कार्ड डलवाकर करवायी गया थी। उक्त मेमोरी कार्ड में की गई विडियोग्राफी की रिकॉर्डिंग से श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386 के द्वारा लेपटॉप के माध्यम से दूसरा मेमोरी कार्ड

SANDISK 64 GB में विडियोग्राफी को डाउनलोड किया जाकर पहले वाले मूल मेमोरी कार्ड को एक सफेद कागज में लपेटकर एक कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर मार्क बी अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया एवं दूसरे मेमोरी कार्ड को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया।तत्पश्चात परिवादी श्री राजेश कुमार द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 31.12.2025 को आरोपी श्री राजेश कुमार एचसी नं. 171, पुलिस थाना सदर नीमकाथाना जिला सीकर से आमने-सामने हुई वार्ता को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को परिवादी श्री राजेश कुमार एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री शीशराम कानि. से लैपटोप में जुङवाकर रिकॉर्डिंग वार्ता का फर्द रुपान्तरण व हिन्दी रुपान्तरण किया गया। रिकॉर्ड वार्ता में परिवादी श्री राजेश कुमार ने स्वयं की व आरोपी श्री राजेश कुमार एचसी नं. 171, पुलिस थाना सदर नीमकाथाना जिला सीकर की आवाज होना पहचान की। तत्पश्चात तीन नये खाली मैमोरी कार्ड SanDisk 64 GB लेकर उन्हे खाली होना सुनिश्चित कर डीवीआर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड उक्त वार्ता को तीनों मैमोरी कार्डो में कॉपी की गई। रिश्वत मांग सत्यापन में प्रयोग किये गये उक्त डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगे मेमोरी कार्ड SanDisk 64 GB एवं नये तैयार किये गये एक मेमोरी कार्ड की श्री शीशराम कानि से हैश वैल्यु निकलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तीन मेमोरी कार्डो में से हैश वैल्यु निकाले गये एक मेमोरी कार्ड पर मार्क सी अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर उसे एक सफेद कागज में लपेटकर एक सफेद कपडे की थैली में सील्ड मोहर किया गया। मूल मेमोरी कार्ड SanDisk 64 GB को एक सफेद कागज में लपेटकर एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सील्ड मोहर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क सी-1 अंकित किया गया। शेष दो मेमोरी कार्डो को आरोपी एवं अनुसंधान अधिकारी हेतु खुला रखा गया।तत्पश्चात श्री राजेश कुमार एएसआई पुलिस थाना सदर नीमकाथाना के राजकार्य से थाने पर उपस्थित होने पर पुलिस थाना सदर नीमकाथाना जिला सीकर में दर्ज प्रकरण संख्या 406/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 189(2),329(3),324(2),303(2) की पत्रावली पेज संख्या 1 से 85 की प्रमाणित प्रति करवाकर पत्रावली के प्रथम एवं अन्तिम पृष्ठ पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त किया गया। मूल पत्रावली श्री राजेश कुमार एएसआई पुलिस थाना सदर नीमकाथाना को सुपुर्द की गई।तत्पश्चात परिवादी श्री राजेश कुमार द्वारा दौराने रिश्वत लेनदेन दिनांक 01.01.2026 को आरोपी आरोपी श्री राजेश कुमार एचसी नं. 171, पुलिस थाना सदर नीमकाथाना जिला सीकर से आमने-सामने हुई वार्ता को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को परिवादी श्री राजेश कुमार एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री शीशराम कानि. से लैपटोप में जुङवाकर रिकॉर्डिंग वार्ता का फर्द रुपान्तरण व हिन्दी रुपान्तरण किया गया। रिकॉर्ड वार्ता में परिवादी श्री राजेश कुमार ने स्वयं की व आरोपी श्री राजेश कुमार एचसी नं. 171, पुलिस थाना सदर नीमकाथाना जिला सीकर की आवाज होना पहचान की। तत्पश्चात तीन नये खाली मैमोरी कार्ड SanDisk 64 GB लेकर उन्हे खाली होना सुनिश्चित कर डीवीआर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड उक्त वार्ता को तीनो मैमोरी कार्डो में कॉपी की गई। रिश्वत लेनदेन वार्ता में प्रयोग किये गये उक्त डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगे मेमोरी कार्ड SanDisk 64 GB एवं नये तैयार किये गये एक मेमोरी कार्ड की श्री शीशराम कानि. से हैश वैल्यु निकलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तीन मेमोरी कार्डो में से हैश वैल्यु निकाले गये, एक मेमोरी कार्ड पर मार्क डी अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर उसे एक सफेद कागज में लपेटकर एक सफेद कपडे की थैली में सील्ड मोहर किया गया। मूल मेमोरी कार्ड SanDisk 64 GB को एक सफेद कागज में लपेटकर एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सील्ड मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क डी-1 अंकित किया गया। शेष दो मेमोरी कार्डो को आरोपी एवं अनुसंधान अधिकारी हेतु खुला रखा गया।बाद कार्यवाही परिवादी राजेश कुमार को रुखसत कर मन् आईओ मय हमराहियान व गिरफ्तार शुदा आरोपी एचसी के प्रकरण से संबंधित जप्तशुदा माल वजह सबूत साथ लेकर एसीबी चौकी सीकर पहुँचा। प्रकरण से संबंधित वजह सबूत जमा मालखाना करवाया गया। स्वतंत्र गवाहान को मुनासिब हिदायत दी जाकर रुखसत किया गया। प्रकरण में गिरफ्तारशुदा आरोपी राजेश कुमार एचसी को बाद स्वास्थ्य परीक्षण पुलिस थाना उद्योगनगर में जमा करवाया गया।की गई कार्यवाही के आधार पर आरोपी श्री राजेश कुमार एचसी नं. 171, पुलिस थाना सदर नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुये परिवादी राजेश कुमार के भाईयों के विरुद्ध पुलिस थाना सदर नीमकाथाना जिला सीकर में दर्ज प्रकरण संख्या 406/2025 में मुल्जिम नहीं बनाने की एवज में रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 31.12.2025 को परिवादी श्री राजेश कुमार से 10,000 रुपये बतौर रिश्वत प्राप्त कर शेष 10,000 रुपये बतौर रिश्वत की मांग करने तथा मांग अनुशरण में दिनांक 01.01.2026 को परिवादी श्री राजेश कुमार से 10,000 रुपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाया जाता है। उक्त आरोपी श्री राजेश कुमार एचसी नं. 171, पुलिस थाना सदर नीमकाथाना जिला सीकर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की तारीफ में आता है।अतः उक्त आरोपी श्री राजेश कुमार पुत्र श्री भैरुराम, उम्र-50 वर्ष, जाति मीणा, निवासी ढाणी शीशराम वाली पुलिस थाना बबाई, जिला झुंझुनूं हाल मुख्य आरक्षक नं. 171, पुलिस थाना सदर नीमकाथाना जिला सीकर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है।(विजय कुमार) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर................कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि

उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विजय कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री राजेश कुमार पुत्र श्री भैरुराम, उम्र-50 वर्ष, जाति मीणा, निवासी ढाणी शीशराम वाली पुलिस थाना बबाई, जिला झुंझुनूं हाल मुख्य आरक्षक नं. 171, पुलिस थाना सदर नीमकाथाना जिला सीकर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री शब्बीर खान, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झून्झूनू को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 40 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर। प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सीकर 2- पुलिस अधीक्षक, जिला सीकर 3- अनिल कयाल, उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SABBIR KHAN **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 0 1/2026 2

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1976				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)